कार्यालय ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश, भिवानी
सार्वजनिक नियुक्ति की सूचना

भिवानी सत्र-मण्डल में प्रोसेस सर्वर के 01 अस्थाई पद (सामान्य श्रेणी) और चपरासी के 05 अस्थाई पदों (सामान्य श्रेणी 04-और अनुसूचित जाति-01), जो कि अगले वित्तीय वर्ष में निरंतरता के अध्याधीन है, जिनका वेतनमान डीएल (16900-53500) एवं अन्य भत्ते जो कि हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए समय समय पर लागू होते है, की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते है।

नोट:- चयन प्रक्रिया पूरी होने से पहले रिक्तियों की संख्या उम्मीदवारों को बिना कोई पूर्व सूचना दिये किसी भी समय बढाई या घटाई जा सकती है।

1. योग्यता:

प्रोसेस सर्वर:- आवेदक मैट्रिक कक्षा उतीर्ण हो तथा हिंदी या पंजाबी भाषा का ज्ञान हो। आवेदक को आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि पर योग्यता की शर्त को पूरा करना चाहिए।

चपरासी:- आवेदक मिडल कक्षा उतीर्ण हो तथा हिंदी/पंजाबी भाषा का ज्ञान हो। आवेदक को आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि पर योग्यता की शर्त को पूरा करना चाहिए।

2. आयु सीमा:

किसी व्यक्ति को सेवा में भर्ती नहीं किया जाएगा अगर उसकी आयु 01.01.2023 को 18 वर्ष से कम और 42 वर्ष से अधिक है। आरक्षित श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ और/या हरियाणा सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार स्वीकार्य होगी।

3. अंतिम तिथि:

आवेदन दस्ती, डाक द्वारा या किसी अन्य माध्यम से अधोहस्ताक्षरी यानि कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिवानी के कार्यालय में प्राप्त करने की **अंतिम तिथि 11.02.2023 अपराह्न 05:00 बजे** तक है। इसके बाद प्राप्त आवेदनों को बिना किसी पत्राचार के सीधे अस्वीकार कर दिया जाएगा। डाक प्राधिकरणों के द्वारा हुआ विलम्ब निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को स्वीकार करने का आधार नहीं होगा। यदि आवेदन दस्ती प्रस्तुत किया जाता है, तो आवेदन प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवार/व्यक्ति को COVID-19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एहतियातन तौर पर भारत सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों/सलाह/हिदायतों जैसे कि मास्क, हैंड सैनिटाईजर एवं 6 फुट की सामाजिक दूरी आदि उपायों का पालन करना होगा।

4. सरकारी विभाग, अर्ध सरकारी विभाग, किसी सरकारी निगम/बोर्ड/संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपना आवेदन उचित माध्यम से भेजना होगा।

5. आवेदन पत्र जिला न्यायालय भिवानी की वेबसाईट **https://districts.ecourts.gov.in/india/haryana/bhiwani/recruit** से डाउनलोड किये जा सकते है।

6. आवेदन पत्र में दिए हुए स्थान पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित पासपोर्ट आकार का एक नवीनतम रंगीन फोटो चिपका होना चाहिए और शैक्षणिक दस्तावेजों एवं श्रेणी, अनुभव इत्यादि सम्बंधी प्रमाणपत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ संलग्न होनी चाहिए। उम्मीदवारों को साक्षात्कार/हाजिरी के समय अपने मूल प्रमाणपत्र एवं एक पहचान पत्र लेकर आना अनिवार्य होगा।

7. किसी भी तरीके से अधूरे आवेदनों को बिना कारण बताए सीधे तौर पर खारिज कर दिया जायेगा। अधूरे आवेदनों या जो आवेदन अंतिम तारीख जो की **11.02.2023** है के बाद इस कार्यालय में प्राप्त होने के कारण इन्कार किए गए होंगे, के बारें में किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा।

8. आवेदक आवेदन पत्र में अपनी सभी शैक्षणिक और अन्य योग्यताओं का उल्लेख करें। उल्लेख न करने पर सम्बंधित उम्मीदवार नियुक्ति के लिए अयोग्य हो सकता है और कानून के प्रासंगिक प्रावधान के तहत अभियोजन के लिए भी उतरदायी हो सकता है।

9. जो अभ्यर्थी उपरोक्त वर्णित पदों के लिए योग्यता पूरी करता है उसे न्यायिक परिसर, भिवानी में उसके नाम के पहले अक्षर के विरुद्ध नीचे दी गयी तारीख व् समय पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा:-

तारीख	**दिन**	**समय**	**अंग्रेजी वर्ण माला के अनुसार नाम**
22.02.2023	बुधवार	दोपहर 12:00 बजे से आगे	A से B
23.02.2023	वीरवार	दोपहर 12:00 बजे से आगे	C से J
24.02.2023	शुक्रवार	सुबह 12:00 बजे से आगे	K से M
27.02.2023	सोमवार	सुबह 11:00 बजे से आगे	N से R
28.02.2023	मंगलवार	दोपहर 11:00 बजे से आगे	S
01.03.2023	बुधवार	दोपहर 02:00 बजे से आगे	T से Z एवं वह आवेदक जो कि ज़िला रोजगार कार्यालय एवं ज़िला सैनिक बोर्ड के द्वारा भेजे गए है।

10. यदि ज्यादा उम्मीदवार होने के कारण या किसी अन्य कारण से उपर्युक्त अनुक्रम में सभी उम्मीदवारों का निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार नहीं लिया जाता है तो बाकी उम्मीदवारों का साक्षात्कार चयन समिति द्वारा निर्धारित दिन पर आयोजित किया जाएगा।

11. साक्षात्कार के लिए अलग से कोई बुलावा पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

12. साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवारों को किसी प्रकार का यात्रा/दैनिक भत्ता नहीं

दिया जायेगा।

13. हाजिरी का समय साक्षात्कार की तारीख को सुबह 09:30 बजे होगा।

14. उम्मीदवार को साक्षात्कार के दौरान न्यायिक परिसर, भिवानी में COVID-19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एहतियातन तौर पर भारत सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों/सलाह/हिदायतों जैसे कि मास्क, हैंड सैनिटाईजर एवं 6 फुट की सामाजिक दूरी आदि उपायों का पालन करना होगा।

हस्ता.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भिवानी